न्यायालयः सिविल जज (सी०डि०), जनपद बागपत।
उपस्थितः सोनाली पूनिया, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यू०पी० 2098

UPBG050006972022

Misc. Civil Cases/158/2022
विविध वाद संख्या–77/2022
सोमकुमार आदि बनाम जयदेव सिंह आदि,

दिनांकः30.08.2023

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। सुना गया।

प्रार्थी / वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 4ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त मान्य न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए माननीय उच्च न्यायालय इहालाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांकित 30.03.2005 द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही स्टे कर दी गयी थी, जो दिनांक 10.01.2018 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्टे समाप्त कर दिया गया था। उपरोक्त मुकदमें की पैरवी वादी सं० 01 सोमकुमार करता चला आ रहा था। लेकिन एक फर्जी मुकदमें में वादी सं० 01 सोमकुमार जेल चला गया, जो लगभग डेढ़ वर्ष तक जिला कारागार बागपत में बंद रहा। वादी संख्या 01 दिनांक 23.11.2022 को रिहा हुआ। रिहा होने के बाद वादी संख्या 01 सोमकुमार बुखार से पीड़ित रहा, बुखार ठीक होने के बाद दिनांक 05.12.2022 को वादी ने न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ता से मुकदमा उपरोक्त के विषय में जानकारी ली तो मालूम हुआ कि उक्त मुकदमा दिनांक 21.04.2022 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादी ने दिनांक 06.12.202 को नकल डलवायी जो दिनांक 12.12.2022 को नकल प्राप्त हुई। दिनांक 13.12.2022 को बिना देरी किये उपरोक्त प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थनापत्र में कथित आधार पर प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाये।

प्रतिवादी सं० 1व3 की ओर से आपत्ति कागज संख्या 21ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी के उपरोक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1व3 को कोई आपत्ति नहीं है।

जबकि प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 की ओर से आपत्ति 24ग प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से व विलंब का बिना पर्याप्त कारण बताए प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी /वादी की ओर से मूलवाद संख्या–208/2002 सोम कुमार आदि बनाम जयदेव सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 21.04.2022 को निरस्त रिकॉल कराते हुए वाद के मूल नम्बर पर कायम कराने के उददेश्य से प्रार्थनापत्र 7ग2 प्रस्तुत किया गया है, जो देरी से दिया गया है तथा इसी देरी को क्षमा कराने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग2 अ0 धारा 5 मियाद के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूलवाद संख्या 208/2002 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2002 के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद अभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। प्रार्थी अपना पक्ष रखना चाहता है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारो को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्रार्थनापत्र में देरी के सम्बन्ध में वर्णित कारण पर्याप्त हैं तथा प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग2 अ0 धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में, स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4ग2 अ0 धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 7ग2 हेतु लन्च बाद पेश हो।

(सोनाली पूनिया)
सिविल जज (सी0 डि0),
बागपत।

Digitally signed by SONALI POONIA
Date: 2023.09.16 16:09:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>लन्च बाद–</u>

पत्रावली लन्च बाद पेश हुई।

प्रार्थी / वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश–9 नियम–4 व धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि– उपरोक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.03.2005 द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही को स्टे कर दिया था। जो दिनांक 10.01.2018 को स्टे समाप्त हो गया था। उपरोक्त वाद की पैरवी वादी संख्या 01 सोमकुमार करता चला आ रहा था। लेकिन सोमकुमार किसी अन्य फर्जी मुकदमें में जेल चला गया था और उक्त मुकदमें की पैरवी जेल में रहने के कारण नहीं हो सकी। जो उक्त मुकदमा दिनांक 21.04.2022 को अदम पैरवी में मान्य न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी दिनांक 23.11.2022 को जेल से रिहा होकर बाहर आया और बुखार से पीडित हो गया तथा जब वादी का स्वस्थ ठीक हुआ तो दिनांक 05.12.2022 को अपने अधिवक्ता से उपरोक्त केस की बाबत जानकारी की तो मालूम हुआ कि उक्त मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो गया है। प्रार्थी ने दिनांक 06.12.2022 को नकल डलवायी जो दिनांक 12.12.2022 को नकल प्राप्त हुई और बिना देरी किये उक्त मुकदमें में पुनः नम्बर साबिक साबिक दिया। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थनापत्र में कथित आधार पर उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के वाद को मूल नम्बर पर कायम किया जाये।

प्रतिवादी सं० 1व3 की ओर से आपत्ति कागज संख्या 22ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी के उपरोक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1व3 को कोई आपत्ति नहीं है।

जबकि प्रति संख्या 2/1 ता 2/5 की ओर से 25ग आपर्याप्त प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कथन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी/वादी की ओर से मूलवाद संख्या–208/2002 सोम कुमार आदि बनाम जयदेव सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 21.04.2022 को अपास्त कराते हुए वाद को मूल नम्बर पर कायम कराने के उददेश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/वादी की ओर से वे समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में उल्लिखित किये गये हैं, जिस कारण से उसका वाद खारिज किया गया था। इस संबंध में मूलवाद संख्या–208/2002 में पारित आदेश दिनांकित 21.04.2022 का भी अवलोकन सुनिश्चित किया गया, जिसमें दिनांक 24.04.2022 को उपरोक्त वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 7ग देरी से दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम लन्च पूर्व स्वीकार किया जा जुका है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र 7ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश–9 नियम–4 स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या–208/2002 सोम कुमार आदि बनाम जयदेव सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 21.04.2022 को अपास्त करते हुए वाद को पुनः उसके मूल नम्बर पर दर्ज किया किया जाये। वाद संख्या 208/2002 की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.09.2023 को पेश हो।

(सोनाली पूनिया)
सिविल जज (सी0 डि0),
बागपत।